न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—142/2019 /223(2019/00142)

1. मीरा पत्नि श्री सुखदेव जाति रावत, निवासी ग्राम कानस, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. जतन देवी पुत्री स्व० हालू, जाति रावत, निवासी ग्राम होकरा, तहसील व जिला अजमेर।
2. मैना पत्नि जयसिंह जाति सैन, निवासी होकरा , तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
3. सीमा यादव पत्नि मुकेश कुमार जाति यादव निवासी होकरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
5. उप पंजीयक, पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय अंतिम डिक्री सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशि.), अजमेर दिनांक 28.05.2013 अंतर्गत वाद संख्या 90/2010.

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विजय सिंह रावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 04, 05.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 04.08.2022.

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.05.2013, वाद संख्या 90/2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया स्वर्गीय हालू पुत्र धूलाल की जायन्दा एक मात्र पुत्री है तथा स्व. हाल के दो पत्नियॉ राधा एवं तौफी थी जिसमें राधा फौत हो चुकी है। हालू पुत्र धूला अपनी मृत्यु उपरान्त ग्राम होकरा तहसील व जिला अजमेर में खाता संख्या नया

419व पुराना 510 के खसरा नम्बर 2090 रकबा 00–02–10 का 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 2093 रकबा 01–10–00 सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 2094 रकबा 00–02–00 सम्पूर्ण हिस्सा आराजी छोड़कर गये। खसरा नम्बर 2086 मिन, खसरा नम्बर 2089मिन व खसरा नम्बर 2091 का आधा हिस्सा वादिया के पिता हालू अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर चुके थ। जिस बाबत् वादी को कोई एतराज नही है, शेष बची उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2090, 2093, 2094 में मेरे पिता हालू के निहित हक हिस्से की आराजी में वादीया का 1/2 हिस्सा निहित है जिसका वादिया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन नही होने से दोनो की संयुक्त कृषि आराजीयात है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध गैर कानूनी रूप से वादिया के पिता हालू द्वारा छोड़ी गई उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण स्वयं एवं राधा के नाम अंकन करवा लिया जबकि उसके पिता हालू व राधा की मृत्युपरान्त उक्त आराजियायत में वादिया को भी 1/2 हिस्सा निहित होने से विरासत का नामान्तकरण उसके नाम भी होने बाबत् प्रतिवादी संख्या 01 को निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 10 ने वादिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि गलती से रह गया होगा, शीघ्र ही वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा करवा देगी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं करवाया बाद में उक्त सम्पूर्ण आराजी का अेचान विधि विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 02 व 3 को कर दिया जिसका उसको हक अधिकार नही होने से उक्त बेचान प्रारम्भ से ही अवैध शून्य एवं निरस्तनीय है। दिनांक 23.11.2010 को वादिया ने प्रतिवादी संख्या 01 को प्रतिवादी संख्या 02 व 3 के हक में उसके द्वारा किये गये बेचान को निरस्त करवाने एवं वादिया को 1/2 हिस्सा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादिया संख्या 01 ने स्पष्ट मना कर दिया एवं उक्त विक्रीत आराजी को अन्यत्र बेचान करने की धमकी दी जिससे वादिया को मजबूरन यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा जिसे स्वीकार कर वादिया को उसके पिता हालू की मृत्युपरान्त शेष आराजी का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार अंकन के आदेश प्रदान करावें तथा प्रतिवादी संख्या 01से 05, उनके परिजन, रिश्तेदार, मुख्त्यारआम, एजेन्ट आदि को विवादित आराजीयात को अन्यत्र बेचान, हस्तातंरण नहीं करने, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने, दस्तावेज पंजीयन नही कराने करने आदि हेतु जरिय स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02, 03 को बेचान की गई विवादित आराजी का बेनामा जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है को विधि विरूद्ध घोषित किया जावें। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 02, 03 के अभिभाषक ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार हालू के स्वर्गवास होने के पश्चात विरासत नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 04.12.2001 के अनुसार हालू के स्थान पर श्रीमती राधा व श्रीमती तोफी बेवा हालू ही स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार बर्किग जमाबदी मुताबिक उक्त वादगस्त आराजी के खातदोर राधा व श्रीमती तौफी ही दर्ज है। श्रीमती राधा के स्वर्गवास के पश्चात विरासत नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 23.05.2009 श्रीमती राध के बजाय श्रीमती तौफी बेवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हालू ही स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर श्रीमती तौफी द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेनामा खसरा नम्बर 2093 रकबा 1–10–00 बीघा भूमि में से श्रीमती तौफी के द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किया गया। वादिया द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त कराये बिना प्रस्तुत वाद के जरिये वादीया खातेदारी हक प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतं में वाद खारित करने का निवेदन किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कुल 06 तनकीयात कायम की एवं बाद बहस पश्चात वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2013 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ,03 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर निवेदन किया कि प्रार्थिया/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2013 की जानकारी पूर्व में नहीं थ। उक्त जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 13.02.2019 को हुईजब अप्रार्थीया मौके पर आयी और अपीलाधीन आदेश दिनांक28.05.2013 के आधार पर जबरन कब्जा पर करने पर आमादा हुई तथा कहा कि मैंने तो वाद डिक्री करवा लिया है और उसकी पालना में नामान्तकरण भी अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया है जिस पर प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जाकर जानकारी की एवं जानकारी होने पर उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.02.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया एवं उसी दिन नकल प्राप्त की। तत्पश्चात प्रार्थीया ने अन्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नामान्तकरण की प्रमाणित प्रलिलिपि प्राप्त कर उक्त आदेश के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अन्य अभिभाषक से सलाह ली। जिस पर उसके उक्त निर्णय की अपील अजमेर में करने की हिदायत दी। जिस पर प्रार्थीया दिनांक 03.04.2019 को फ़ीस आदि का प्रबन्ध कर अजमेर आई एवं अपना अभिभाषक नियुक्त किया जिन्होने उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। उपरोक्त देरी के कारण सद्भाविक होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. तत्पश्चात विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र आराजी खसरा नम्बर 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांसी में से 1/2 हिस्सा जो कि तोफी बेवा हालू जाति रावत से क्रय की गयी थी जिसके आधार पर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका था चूँकि तोफी बेवा हालू का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा पूर्व से ही उसके पति की विरासत से प्राप्त हुआ था जिसका उसे बेचान करने का पूर्ण अधिकार था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद स्वीकार करते हुए अपीलांट के आराजी में निहित उसके 1/2 हिस्से में 1/1 हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्से की खातेदार यथावपत् नहीं रखते हुए सम्पूर्ण 1/1 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि विधि द्वारा त्रुटिपूर्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

होकर काबिल निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं को हालू पुत्र दूला की पुत्री बताती है को वादग्रस्त आराजी के बेचान की जानकारी पूर्व से ही थी तथा अपने पिता हालू पुत्र दूला के फौत होने पर जो विरासती नामान्तकरण हालू पुत्र दूला की दो पत्नियों राधा व तोफी के नाम खोला गया था की जानकारी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को थी। बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विक्रय से पूर्व उक्त नामान्तकरण को चुनौती नही दी गयी तथा विक्रय के पश्चात जान बूझकर द्वेषतापूर्ण एवं कूटनीती तथा क्रेता को परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की मंशा केवल विक्रेतागण को ब्लेकमेल कर आराजी हथियाने का उद्देश्य था। उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को हालू पुत्र दूला की पुत्री मानते हुए हक अधिकार प्रदान किये है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरीत होकर काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय यह नही देखा गया कि तोफी बेवा हालू जो कि वादग्रस्त आराजी की 1/2 हिस्से की खातेदार थी जिसके द्वारा पंजीकृत विक्रय–पत्र अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया गया था को निरस्त फरमाये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया जिससे अपीलांट के हक अधिकारो पर कुठाराघात हुआ। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2013 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नही होना गलत एवं मिथ्या कथनो को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलांट एवं उसके पति सुखदेव पुत्र गैना जिनकी साक्ष्य दिनांक 22.05.20213 को उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिये गये, तत्पश्चात उसी दिवस को स्वयं सुखदेव मय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.05.2015 को नियम की गई तथा दिनांक 24.05.2013 को कार्य स्थगित होने से दिनांक 28.05.2013 को प्रकरण में निर्णय सुनाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की प्रत्येक गतिविधि का अपीलांट एवं उसके पति सुखदेव की जानकारी में होने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत एवं मिथ्यापूर्वक अभिकथन उल्लेखित किये है जो कि किसी भी तथ्य की सत्यता को स्पष्टतया जाहिर नहीं करते है। अपीलांट द्वारा यह अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई, जिसे मियाद बिन्दू पर ही खारिज किया जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में 2016 आर.बी.जे. पेज 20 (हाई कोर्ट डी.बी.) का न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमती जतन देवी पुत्री हालू निवासी होकरा द्वारा अपने पिता हालू की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 419 में दर्ज खसरा नम्बर 2090 रकबा 0–02–10 बीघा में 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 2093 रकबा 1–10–00 बीघा में पूर्ण हिस्सा

एवं खसरा नम्बर 2094 रकबा 0–02–00 में पूर्ण हिस्सा जो कि वाके ग्राम होकरा तहसील पुष्कर में अवस्थित है कि जिसमें खातदोर हालू की मृत्यु उपरान्त जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 04.12.2001 को उसकी पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती जतनदेवी का नाम दर्ज नहीं कर केवल उसकी दो पत्नियॉ यानि श्रीमती राधा एवं तोफी के नाम गलत रूप से वर्किंग जमाबंदी में अमल कर दिया गया, तत्पश्चात श्रीमती राधा की मृत्यु होने के बाद पुनः विरासत नामान्तकरण संख्या 1095 दिनांक 23.05.2009 के सम्पूर्ण हिस्सा श्रीमती तोफी के नाम गलत एवं अवैधानिक रूप से स्वीकृत कर दिया गया, जिसके आधार पर उक्त श्रीमती तोफी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2093 रकबा 1–10–00 एवं खसरा नम्बर 2090 रकबा 0–02–10 में 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 2094 रकबा 0–02–00 का बेचान वर्तमान अपीलांट श्रीमती मीरा एवं उसके पति सुखदेव के हक में कर दिया, जो प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य यानि (ab initio void) था। इस प्रकार उक्त वर्णित आराजी में वादिया/जतन देवी जो कि खातेदार हालू की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन 1/2 हिस्सा एवं श्रीमती तोफी का 1/2 हिस्सेनुसार हक व हिस्से का अंकन किया जाना कानूनन आवश्यक था, इसके लिए वादीया/श्रीमती जतन देवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् रूप से पक्षकारान को नोटिस प्रेषित किये जाकर उनकी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से 06 तनकीया कायम की जाकर वादी एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिकार्ड दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया जाकर श्रीमती जतन देवी का वाद स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नही की है। श्रीमती तोफी द्वारा खसरा नम्बर 2093 रकबा 1–10–00 में से 1/2 हक व हिस्से का गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से बेचान अपीलांट श्रीमती मीरा देवी को दिनांक 02.07.2007 को कर दिया, तत्पतश्चात श्रीमती राधा के स्वर्गवास के पश्चात् उसके 1/2 हिस्से की विरासत श्रीमती तोफी के नाम गलत दर्ज हो जाने पर उक्त 1/2 हिस्से का बेचान अपीलांट के पति सुखेदव को कर दिया इस प्रकार वर्णित आराजी का अवैध एवं शून्य विक्रय–पत्र के आधार पर खरीद किये जानेके पश्चात अपीलांट द्वारा वर्णित सम्पूर्ण भूमि रकबा 1–10–00 बीघा को अवैधानिक रूप से हक व हिस्से से अधिक भूमि का बेचान हरबंश सिहं पुत्र गुरूवचन सिंह जाति सिख के पक्ष में दिनांक 11.09.2009 को कर दिया तथा श्रीमती तोफी के शेष 1/2 हिस्से का अपीलांट के पति सुखदेव द्वारा खरी किया जाना कथन कर उक्त हिस्से का बेचान अपीलांट के पति सुखदेव द्वारा मनोज यादव के पक्ष में कर दिया जिससे उक्त क्रेता हरबंश सिंह द्वारा अपीलांट एवं उसके पति सुखदेव के विरूद्ध प्रथम सूचना संख्या 34 दिनांक 18.02.2011 को पुलिस थाना, पुष्कर के मसक्ष दर्ज करवाई गई है कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना, पुष्कर द्वारा पूर्ण अनुसंधान किया जाकर अपीलांट एवं उसके पति सुखदेव के विरूद्ध अंतिम रिपोर्ट आरोप पत्र संख्या 74/2011 दिनांक 30.07.2011 को धारा 420 एवं 120–बी के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांट एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उसके पति सुखदेव के पक्ष में श्रीमती तोफी द्वारा किये गये बेचान/हस्तातंरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकी संख्या 04 के द्वारा अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है। जिसकी पालना में तहसीलदार, पुष्कर के आदेश क्रमांक 1297 दिनांक 01.08.2018 के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 30.08.2018 को किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में अमल किया जा चुका है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में श्रीमती तोफी एवं सुखदेव बतौर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के रूप में पक्षकार संयोजित थे जिन्हे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में बतौर अपीलांट पक्ष अथवा रेस्पोडेन्ट पक्ष के रूप में पक्षकार संयोजित नही किया है जबकि प्रस्तुत अपील में उक्त पक्षकार आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा उन्हे किसी भी पक्ष के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत अपील विधि के आज्ञापक प्रावधानो एवं सिद्धान्तो यानि आदेश 41 नियम 20 जाप्ता दीवानी के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 0 3 जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समख प्रस्तुत मल वाद में प्रतिवादी अथवा वादी पक्ष के रूप में पक्षकार संयोजित नही थे तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल निर्णय एवं डिक्री की पालना के अधीन वादिया श्रीमती जतन देवी को राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातदेार काश्तकार घोषित किये जाने के पश्चात वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने खातेदारी हको एवं अधिकारो का हस्तातंरण उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्रीमती मैना पत्नि जय सिंह को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र के किया जा चुका है जिनका खातेदार इन्द्राज जरिये नामान्तकरण संख्या 461 दिनांक 21.12.2018 को स्वीकृत किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में किया जा चुका है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्रीमती मैना के पक्ष में किये गये वर्तमान पंजीबद्ध विक्रय–पत्र को समक्ष सिविल न्यायालय में चुनौति दिये बगैर एवं उक्त नामान्तकरण को चुनौति दिये बगैर अपीलंट द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार से प्रभावित नही किये जा सकते है। उपरोक्त सभी कारणो से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपने समर्थन में 2020 आर.बी.जे. पेज 268 (हाईकोर्ट), 2019 आर.बी.जे. पेज 410 (हाईकोर्ट) के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिभाषक अपीलांट का यह कथन है कि तोफी बेवा हालू द्वारा वादग्रस्त आजी का 1/2 हिस्से की खातदेार थी जिसके द्वारा पंजीकृत विक्रय–पत्र अपीलांट के पक्ष में निष्पादित

किया गया था को निरस्त करवाये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर. बी.जे. (26) 2019 पेज 410 से सहमत है कि धारा 207 जव अभिकथनो के आधार पर विक्रय–पत्र दिनांक 20.08.2007 शून्य है वह काश्तकारी भूमि से सम्बन्धित है वादी द्वारा वाद केवल राजस्व न्यायालय में ही पोषणीय है। धारा 207 राज.काश्तकारी अधिनियम में अभिलिखित है कि राजस्व न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय, ऐसे किसी वाद या आवेदन का या ऐसे वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद या आवेदन का, जिसके बारे में कोई अनुतोष ऐसे किसी वाद या आवदेन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है, संज्ञान नही करेगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में श्रीमती तोफी एवं सुखदेव वतौर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के रूप में पक्षकार संयोजित थे जिन्हे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में बतौर अपीलांट पक्ष अथवा रेस्पोडेन्ट पक्ष के रूप में पक्षकार संयोजित नही किया है। अपील में उक्त पक्षकार आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा उन्हे किसी भी पक्ष के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया है,,जो विधि के आज्ञापक प्रावधानो एवं सिद्धान्तो यानि आदेश 41 नियम 20 जाप्ता दीवानी के प्रतिकूल है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2013 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, चूँकि जाप्ता दीवानी की धारा 99 में स्पष्टतया उल्लेख है कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न उलटी जायेगी और ना ही उपातंरित की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद–पत्र में विधिवत् रूप से पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं 06 तनकीयात कायम की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देतें प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार त्रुटि कारित नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर के द्वारा वाद संख्या 90/2010 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2013 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर